

FORM No. III

फर्द अहकाम

( नियम 26 )

A3

अदालत \_\_\_\_\_ मुकाम \_\_\_\_\_  
 बनाम \_\_\_\_\_  
 कस्म मुकद्दमा पार्ष्णी पत्र नं. 73 सन् २०२३

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/6/23	<p>इस्लामाबाद जमीन 3400 / पार्ष्णी के पार्ष्णी पत्र दिनांक 05/11/2022 को प्रस्तुत का निवेदन कि विद्वती लख्या 9 पुजारी दुर्गाशंकर पिता शतलाल पुरोहित लिखा गया है, जबकि दुर्गाशंकर के पिता का नाम किशनलाल है अतः रकब 1.76 हे. की दरवाज का विद्वती 9 के पिता का नाम शतलाल की जगह किशनलाल पड़ा जावे। पार्ष्णी पत्र (स्वीकार किया जावे) पार्ष्णी पत्र के टाईटल पर विद्वती लख्या 9 दुर्गाशंकर के पिता का नाम किशनलाल उचित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। टाईटल पर लाल रंग से डीकरण किया जावे।</p> <p>पार्ष्णी गाम बिजयपुर वी आरजी लख्या 787, 788, 789, 790, 791 बीता 5 रकबा 1.76 हे. की पट्टागदी काले जाने हेतु आवेदन किया। इस आरजीगत पार्ष्णी के नाम खतेदारी हक से दर्ज रकब है अतः पार्ष्णी का पार्ष्णी पत्र स्वीकार किया जावे। गाम बिजयपुर (कित आरजी लख्या 787, 788, 789, 790, 791 बीता 5 कुल रकबा 1.76 हे. की बिना किसी के कब्जे से देखलगदी किए देखलमेन्ट नम्बरो अनुसार पट्टागदी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। शुल्क 1500=00 एक हजार पाच दो सय पार्ष्णी वदत करेगा। पालना बरिष्नीलाल वल्ली को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट प्राप्त है। पार्ष्णी केवल शुमा होवा गम्बर से भस है।</p> <p>13/6/23                  (रामचन्द्र खटीक)                  सहायक कलेक्टर एवं                  उपखण्ड अधिकारी                  चित्तौड़गढ़</p>	